(ग) यदि हां, तो ऐसे कैदियों की राज्य-वार संख्या कितनी है जिन्होंने इस घोषणा के अनुसार नसबन्दी आपरेशन कराया है;

(घ) क्या सरकार ने लोगों से स्वेच्छा के आधार पर नहीं बल्कि ऐसे प्रलोभन देकर नसबन्दी आपरेशन करवाने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस कार्यवाही का क्या औचित्य है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, इस प्रकार की रियायतों की घोषणा आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान राज्यों और गोवा, दमन और दीव संघ क्षेत्र ने भी की है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(घ) नसबन्दी आपरेशन स्वेच्छा के आधार पर किए जाते हैं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

लेखा बाह्य धन का मूल्यों पर प्रभाव

225. **श्री ओ० प्र० त्यागी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लेखा बाह्य धन का भारतीय और माल की कीमतों की वर्तमान मुद्रा-स्थिति पर कोई प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस प्रकार के प्रभाव को समाप्त करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (घ). लेखा बाह्य (अनअकाउण्टेड) धन के प्रभाव को कीमतों पर प्रभाव डालने वाली दूसरी बातों से अलग नहीं किया जा सकता । लाभों को प्राय: लेखे में नहीं दिखाया जाता क्योंकि हो सकता है कि वे मूल्यों पर और विदेशी मुद्रा के लेन-देनों पर लगाये गये विभिन्न नियंत्रणों का उल्लंघन कर के किये गये लेन-देनों से हुए हों । करों और शुल्कों से बचने के लिये भी लाभों को लेखे में नहीं दिखाया जाता । ऐसे लाभों का इस्तेमाल, विलासमय या आडम्बर पूर्ण रहन-सहन पर फजूल खर्च करने के अलावा सोना चांदी या वस्तुएं खरीदने के लिये या गृह-सम्पत्ति, जिस की कीमत उसके बिक्री पत्र में कम लिखी जाती है, प्राप्त करने के लिये चोरी-छिपे अदायगी करने के लिये किया जाता है ।

लेखा-बाह्य धन का चलन, कर-अपवंचन पर रोक लगाने के लिये प्रभावी कदम उठा कर कम किया जा सकता है । उस दिशा में सरकार ने पहले ही वैधानिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार के विभिन्न उपाय किये हैं । मकानों की तलाशी और लेखा-बाह्य नकदी, सोने-चांदी या दूसरी परिसम्पत्ति जब्त करना आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उन मामलों में अधिकृत है जिन में यह सूचना मिली हो कि सम्बद्ध व्यक्ति की लेखा-बाह्य आमदनी है । आयकर के लिये पूंजीगत लाभों का हिसाब उन मामलों में पूंजीगत परिसम्पत्ति के समुचित बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाता है जिन में बिक्री की कीमत कम बतायी गयी हो । वित्त अधिनियम 1968 में यह व्यवस्था की गयी है कि कारबार के लाभों का हिसाब लगाने में ऐसे खर्च के लिये, जिस के लिये (अधिसूचित

की जाने वाली तारीख के बाद और उन अपवादों के अधीन जो विहित किये जायें) 2,500 रुपये से अधिक की रकम की अदायगी की गयी हो तब तक कोई छूट नहीं दी जायगी जब तक उक्त अदायगी रेखित चैक (क्रास्ड चैक) या बैंक ड्राफ्ट द्वारा न की गयी हो। वित्त अधिनियम, 1968 ने आमदनी या सम्पत्ति छिपाने पर किये जाने वाले जुर्माने को भी बढ़ा कर, कम से कम, छिपायी गयी आमदनी या सम्पत्ति के बराबर की रकम तक और अधिक से अधिक उससे दुगनी रकम तक कर दिया है। इस का परिणाम वास्तव में यह होगा कि छिपाई गई आमदनी या सम्पत्ति जब्त की जा सकेगी। आमदनी छिपाने के लिये, अदालत में दोष सिद्ध होने पर, कम से कम छः महीने से लेकर अधिक से अधिक दो वर्ष तक के कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है। ऐसे मामलों में, जहां दोष सिद्ध करने के लिये पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध हों, कर न देने वालों पर अभियोग चलाने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार के मामलों में कार्रवाई करने के लिये गुप्त वार्ता प्रशाखाएं स्थापितकी गयी हैं। आयकर अधिनियम, सम्पत्ति-कर अधिनियम, दान-कर अधिनियम तथा मृत-सम्पत्ति शुल्क अधिनियम के प्रयोजन के लिये मकान और दूसरी परिसम्पत्तियों का उचित मूल्यांकन करने के लिए सरकार विभागीय तौर पर एक मूल्यांकन संगठन भी स्थापित कर रही है।

Excise Revenue

226. SHRI RANE: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the excise revenue in different States and Union Territories which was in the years 1966-67 and 1967-68;

(b) the estimated revenue of different States and Union Territories for the year 1968-69;

(c) the States and Union Territories which are getting additional excise revenue and to what extent either by relaxing or scrapping prohibition; and

(d) whether Government propose to reduce the financial assistance to such States to the extent of such additional revenue?

THE DEPUTY PRIME MINISTER AND MINISTER OF FINANCE (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1352/68].

(c) The Governments of Haryana, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Mysore and Orissa have announced relaxations, in varying degrees, in their prohibition laws. The estimates furnished by the State Governments of the additional revenue expected are indicated in the statement laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1352/68].

(d) No, Sir.

दिल्ली के भोजनालयों में भोजन की दरें

227. **श्री विभूति मिश्र:** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित भोजनालयों ने चीनी, वनस्पति घी, खाद्यान्नों आदि की कीमत गिरने के बावजूद भोजन की दर कम नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ख). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी।